Case Study-11

विषयः–एक बुकिंग कार्यालय की जाँच में पायी गयी UTS टिकटों में फ्राड का मामला ।

इन्द्रजीत गुप्ता
(मुसतानि यातायात)

मामले का संक्षिप्त विवरणः–

लखनऊ मण्डल के एक बुकिंग कार्यालय में की गयी निवारक जाँच के क्रम में पाया गया कि वाणिज्य कर्मचारियों के द्वारा जालसाजीपूर्ण (Fraudulent) कार्य करते हुए , प्रिंटर से छेड़ –छाड़ करके LOW VALUE के टिकट स्टाक को पूर्ण रूप से छपने नहीं दिया जाता था एवं आंशिक रूप से छपे स्टेशनरी को, कार्बन पेपर का प्रयोग करते हुए फर्जी तरीके से HIGH VALUE के टिकट जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस एवं आनंद विहार टर्मिनल के लिए बनाया जाता था । इस प्रकार बुकिंग कर्मचारियों के द्वारा UTS टिकट जारी करने में जालसाजीपूर्ण कृत्य करके रेल राजस्व में भारी हानि पहुंचाई गयी एवं मामले की विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों के द्वारा इस प्रकार का कपटपूर्ण कृत्य काफी लंबे समय से तथा अनवरत करते हुए रेलवे राजस्व की हानि पहुंचाई जाती रही ।

वाणिज्य कर्मचारियों के द्वारा निम्नानुसार उक्त फ्राड कारित किया गया :–

- UTS टिकट स्टाक के लिए सिस्टम में LOW VALUE (कम दूरी के ₹10 के टिकट) का ट्रांजैक्शन करते हुए UTS स्टेशनरी को HIGH VALUE (लोकमान्य तिलक टर्मिनस , आनंद विहार टर्मिनल आदि जैसे लम्बी दूरी के टिकट) को बनाने के लिए बचा लिया जाता था और आगे के स्टाक पर कार्बन पेपर लगाकर, बचाए गए स्टेशनरी को सबसे ऊपर रखकर टिकट छाप कर लम्बी दूरी की दो टिकट फर्जी तरीके से छाप लिए जाते थे । इनके द्वारा अपनाई गयी Modus Operandi निम्न चरणों में की गयी थी : –
  - **a)** सिस्टम में LOW VALUE का कमाण्ड देकर स्टेशनरी पर मात्र DATE एवं Slash No. को ही छपने दिया जाता था और आंशिक छपे इस इस टिकट को HIGH VALUE का टिकट बनाने के लिए बचा लिया जाता था । टिकट पर मिसमैच न हो जाए, इसलिए टिकट पर Slash No. को पहले ही छपने दिया जाता था ।
  - **b)** अगले किसी टिकट स्टॉक पर HIGH VALUE का टिकट प्रिंट करने से पहले स्टॉक पर कार्बन लगाकर, बचाए गए LOW VALUE के टिकट स्टॉक को सबसे ऊपर रखते हुए इस प्रकार प्रिंटिग में छेड–छाड करते हुए फर्जी तरीके से प्रिंटिंग किया गया था कि Slash No. दोबारा उक्त आंशिक छपे टिकट पर न प्रिंट हो जाए ।
  - **c)** फर्जी तरीके से किये गये प्रिटिंग के फलस्वरूप दो HIGH VALUE के टिकट बनाए जाते थे, जिसमें भौतिक रूप से दोनों टिकटों पर छपे विवरण जैसे प्रस्थान स्टेषन ,गंतव्य स्टेषन , दूरी, किराया , क्लास, जारी करने का समय, UTS No., Random No. आदि एक समान

पाये गए थे, जबकि उन टिकटों के संगत सिस्टम के ट्रांजैक्शन डिटेल के मिलान में LOW VALUE से सम्बन्धित स्टॉक में विभिन्नता पायी गयी, इसके साथ ही " UTS No. " दोनों टिकटों पर एक ही छपा पाया गया था , जबकि UTS manual के अनुसार प्रत्येक टिकट स्टॉक के लिए यह Unique होता है । प्रिंटिंग के पष्चात् LOW VALUE से सम्बन्धित टिकट स्टॉक पर भौतिक रूप से प्रिंटिंग में प्रिंट का रंग प्रिंटर के सामान्य इंक में एवं HIGH VALUE के लिये प्रयुक्त टिकट स्टॉक पर प्रिंट का रंग " कार्बन पेपर " के प्रिंट में पाया गया। इस प्रकार HIGH VALUE के प्रिंट किये गये दोनों टिकटों को बेचकर प्राप्त धनराशि का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ में किया जाता था । जिसमें रेलवे के लिये Cash Liability मात्र एक High Value के स्टॉक से संबंधित स्टॉक के लिये बनी और Low Value के स्टॉक के लिये मात्र ₹ 10 बनी, जिसे इनके द्वारा पूरा कर लिया जाता था और Low Value के स्टॉक पर HIGH VALUE का फर्जी तरीके से प्रिंटिंग करके बिक्री करते हुए रेलवे को भारी हानि पहुँचायी जाती थी।

- इसके साथ ही निरस्त किए गए UTS टिकट , जो कि लेखा कार्यालय को भेजे गए थे ; उनकी जाँच में पाया गया कि " **यात्रा टिकट में** " **टिकट** पर छपाई **कार्बन टाइप प्रिंटिंग में थी और उनके संगत सभी " निरस्त टिकटों " की प्रिंटिंग में प्रिंट का रंग प्रिंटर के " सामान्य इंक " में एक समान पाया गया था। Modus operendi अपनाते हुए संबंधित वाणिज्य कर्मचारियों के द्वारा LOW VALUE के टिकट स्टॉक** पर HIGH VALUE के टिकट को छाप कर HIGH VALUE के दो टिकटों को बेचा जा रहा था, जिसके एवज में प्राप्त धनराशि को निजी स्वार्थ में लिया जा रहा था। यदि किसी परिस्थिति में किसी टिकट के बिक्री नहीं हो पाने की स्थिति में उसे सिस्टम से कैंसिल कर दिया जाता था जिससे कि उसका कैंसिलेषन चार्ज सिस्टम में काटते हुए शेष धनराषि सिस्टम से रिलीज हो जाए एवं Cash liability कम हो जाए।

****